


15.05.2023

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच संख्या एक से प्राप्त होकर आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण को प्रार्थी अधिवक्ता आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लोक अदालत की बेंच संख्या एक के समक्ष इस निगरानी प्रार्थना पत्र को जरिए Not Press खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जरिए Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर,सिरोही

